Most urgent

# राजस्थान सरकार
# निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर 302005 Email: dmhs.tcng@gmail.com contact no. 0141-2222683

क्रमांकः राजहैल्थ/टी.सी./24661/2024/170 दिनांकः 12/04/24

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक/राजकीय मेडीकल कॉलेज/राजमेस/
एसआरजी, झालावाड/आरयूएचएस,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह,
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
एवं शेष नियत्रंण अधिकारी, राजस्थान।

विषयः–कार्मिकों के बकाया वेतन आहरण के संबंध में तत्काल सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा दिनांक 09.04.2024 को बैठक में दिये गये निर्देशानुसार, आपके अधीन कार्यरत ऐसे समस्त कार्मिक जिनका नियमित रूप से वेतन आहरण नहीं हो रहा है, की सूचना निम्न प्रपत्र में दिनांक 18.04.2024 तक सॉफ्ट(एक्सल सीट देवलीस फॉन्ट में) एवं हार्ड कॉपी में ई–मेल आई.डी. **dmhs.tcng@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:–

| क्र0 सं0 | जिला | कार्मिक जहां कार्यरत है, संस्था का नाम | नाम कार्मिक | पद नाम | वेतन आहरण ना होने का कारण (अधिशेष/पद विरूद्ध/पद आईएफएमएसी पर मेप नहीं/पद विलोपित होने के कारण/स्वयं के स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण/किसी अन्य कार्मिक के स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण/अध्ययन अवकाश एवं अन्य) | दिनांक जिस से वेतन आहरण नहीं हो रहा है | यदि अन्य संस्थान से वेतन आहरण हो रहा है तो संस्था का नाम तथा कब से वेतन आहरित हो रहा है। | बिन्दु संख्या 04 पर अंकित कार्मिक य दि माननीय न्यायालय के आदेशों से पदस्थापित है तो रिट संख्या एवं आदेश की प्रति | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

सभी नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त सारणी में आप से संबंधित समस्त सूचना इकजाई कर निर्धारित समयावधि में भिजवाना सुनिश्चित करावें। आप द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचना में सम्मिलित कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु तदानुसार निर्णय लिया जाना प्रस्तवित है।

RajKaj Ref
6586042

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.12 10:06:20 IST
Reason: Approved

अतः आप से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होने अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक के लंबित वेतन भुगतान पर निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में संबंधित नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

**(राकेश कुमार शर्मा)**
**निदेशक (अराजपत्रित)**
**मुख्यालय**

क्रमांकः राजहैल्थ/टी.सी./24661/2024/ 170 दिनांकः 12/04/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक(जन स्वा0), मुख्यालय।
6. समस्त संबंधित कार्मिकों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है की उन से संबंधित सूचना नियंत्रण अधिकारी द्वारा भिजवायी जाने वाली इकजाई सूचना में सम्मिलित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आज ही ई–मेल पर प्रेषित करें।

RajKaj Ref
6586042

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.12 10:06:20 IST
Reason: Approved